उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय
01,राजविहार चकराता रोड़ देहरादून।

पत्रांक 1224 नि0मु0 / लेखा / एजें0चा0परि0–मु0 / 2012 दिनांक 13 सितम्बर 2012

समस्त सहायक महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम -
देहरादून / नैनीताल / टनकपुर।

विशय:– **एजेन्सी के माध्यम से नियोजित चालक / परिचालक के मानदेयकों के भुगतानों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक, इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 1208 दिनांक 30.4.2012 के द्वारा एजेन्सी के माध्यम से नियोजित चालक / परिचालक के मानदेयकों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे। निगम के मण्डलों से एजेन्सी चालक / परिचालकों के भुगतान बिलों के अवलोकन करने पर पाया जा रहा है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा डिपोज द्वारा कि0मी0 विवरण पत्र पृथक–पृथक प्रारूप में निर्देशों के विपरीत तैयार किये जा रहे हैं तथा सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा तैयार बिलों पर, डिपोज द्वारा प्रमाण पत्र अंकित करते हुए भुगतान प्रमाणित / हस्ताक्षरित नहीं किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि डिपो द्वारा एजेन्सी चालकों / परिचालकों के रिकवरी आदेश तो जारी किये जाते हैं किन्तु बिलों से रिकवरी नहीं की जा रही है अथवा विलम्ब से की जाती है जिसके कारण वर्तमान में एजेन्सी बिल भुगतानों में अनिमियतता होने की सम्भावना अभी भी बनी हुयी है।

डिपोज द्वारा चालकों / परिचालकों के कि0मी0विवरण पत्र निम्न प्रारूप में पूर्व निर्देशानुसार डाटमैट्रिक प्रिन्टर के माध्यम से तीन प्रतियों में तैयार किये जायेगें।

प्रारूप:–

क्र0 सं0	एजेन्सी चालक / परिचालक का नाम	दिनांक 20 से...... ....19...... तक दिवस वार, कालम वार	पर्वतीय मार्ग का कि0मी0	मैदानी मार्ग का कि0मी0	कुल अर्जित कि0मी0	रिकवरी धनराशि का पत्रांक एवं दिनांक	रिकवरी की धनराशि
1	2	**तिथिवार कालम 3 से 33 तक**	34	35	36	37	38

कि0मी0 का योग–(शब्दों में)

<u>प्रभाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि क्लेम किये गये कि0मी0 सम्बन्धित चालक / परिचालक द्वारा वास्तव में अर्जित किये गये हैं जो कि अर्जन के अनुसार सम्बन्धित चालक / परिचालकों को देय हैं।

ह0	ह0	ह0	ह0
लिपिक	**व0के0प्र0**	**लेखाकार**	**स0म0प्रबन्धक**

उपरोक्तानुसार डिपोज द्वारा सम्बन्धित कि0मी0 विवरण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किये जायेगें जिसकी प्रथम प्रति सम्बन्धित एजेन्सी को, दूसरी प्रति मण्डलीय प्रबन्धक कार्यालय को तथा तीसरी प्रति डिपो में एक पंजिका में रिकार्ड स्वरूप सुरक्षित रखी जायेगी तत्पश्चात एजेन्सी द्वारा डिपो से प्राप्त कि0मी0 विवरण पत्र के आधार पर डिपोवार बिल तैयार कर सम्बन्धित डिपो को प्रेषित किये जायेगें तथा डिपो द्वारा चालक / परिचालकों के अर्जित कि0मी0 के विवरण पत्र से उक्त बिल का मिलान / परीक्षण कर डिपो के सहायक महाप्रबन्धक के स्तर से बिल को सत्यापित करते हुए निम्न प्रमाण पत्र बिल पर अंकित किया जायेगा:–

प्रमाणित किया जाता है कि एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक/परिचालक को दर्शित कि0मी0 के आधार पर ही भुगतान हेतु देयक मण्डलीय प्रबन्धक कार्यालय को प्रेशित किये जा रहे हैं। इस स्तर से सम्बन्धित देयकों की भली–भॉति जॉच कर ली गयी है।

ह0	**ह0**	**ह0**
व0के0प्र0	**लेखाकार**	**स0म0प्रबन्धक**

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में एजेन्सी चालक/परिचालकों के बिल उपरोक्तानुसार ही तैयार कर भुगतान हेतु प्रेषित किये जायें तथा बिल प्रेषित करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित बिल मुख्यालय के पूर्व पत्रांक 1208 दिनांक 30.4. 2012 में निहित निर्देशों के अनुरूप तैयार किये गये हैं। विपरीत स्थिति पाये जाने पर डिपोज के सम्बन्धित सहायक महाप्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेगें।

आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पंकज तिवारी)
वित्त नियंत्रक।

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (संचालन) निगम मुख्यालय, देहरादून को उपरोक्तानुसार इस आशय से कि वे बिलों को भुगतान हेतु स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बिल उपरोक्तानुसार तैयार किये गये हैं।
2. मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून/ नैनीताल/टनकपुर को इस निर्देश के साथ कि बिलों को भुगतान हेतु निगम मुख्यालय में प्रेषित करने से पूर्व जॉच कर यह सुनिश्चित कर लें कि बिल निगम मुख्यालय के पत्रांक 1208 दिनांक 30.4.2012 द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. सहायक महाप्रबन्धक (वित्त) उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून/नैनीताल/टनकपुर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
4. सहायक लेखाधिकारी (आडिट) निगम मुख्यालय, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून/नैनीताल/टनकपुर को इस निर्देश से कि डिपो आडिट के समय उक्त बिन्दु को आडिट जॉच में शामिल किया जाये।
5. सम्बन्धित एजेन्सी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
6. गार्ड फाईल निगम मुख्यालय।

वित्त नियंत्रक।